राजस्थान सरकार

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)**

**पीठासीन अधिकारी–अभिलाषा, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या–05/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/29
दायर दिनांक– 31.03.2023
निर्णय दिनांक– 14.02.2024

1. कासिम पुत्र गुलाब जाति मुसलमान नि0 ग्राम हरमाड़ा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थी

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थी

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति–1. श्री अरविन्द दाधीच अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

**–:निर्णयः–**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की एकल कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी खाता सं0 59 के ख0न0 729 रकबा 1.2944 है0 व ख0न0 730 रकबा 1.2135 है0 भूमि ग्राम हरमाडा , पटवार हल्का हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है, जिसमें प्रार्थी का हिस्सा सम्पूर्ण है। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी का नाम एकल कब्जे–काश्त एवं खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त भूमि में किसी अन्य खातेदार का कोई हक, हिस्सा व दखल नहीं है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों द्वारा नींव सींव मेड़ को लेकर विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड, नक्शा ट्रेस व पुरानी डायरी में दर्ज नक्शे अनुसार, मौके पर काबिज काश्त अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस के तथ्य माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हरमाड़ा के खाता सं0 59 के ख0न0 729 रकबा 1.2944 है0 व ख0न0 730 रकबा 1.2135 है0 भूमि की पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है, जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

**अभिलाषा**
(आर.ए.एस.)
**सहायक कलक्टर एवं**
**उपखण्ड अधिकारी**
**रूपनगढ (अजमेर)**

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)